



स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

F.NO. 1-6/Renewal/2021-INC

Dated:-

11 OCT 2021

Circular

Sub:- Necessity for all the Nursing Institutions to frequently Login to the "Institution Login" to ascertain the status regarding.

Under the e- initiative, INC has made the process of examination of suitability, under section 13 & 14 of the INC Act, of fresh proposals, proposal for enhancement of seats, renewal of annual affiliation etc; completely online for the convenience of all the participating institutions. The User manual and demonstration video has also been posted under the institute login for the guidance of institutions. The objective of online process is that after submission of proposal, intimation of status of proposal should be available to the institutions online itself after logging in with their institutional id and login pass word. After examination of proposals, INC sends the outcome online through formal letter so that the concerned institution could download the communication after logging in. In case the letter is reg deficiencies they can submit the compliances also online without any separate communication to INC.

However it has been observed that after submitting the application online for renewal of Suitability/first application etc; most of the Nursing Institutions are not Logging in to ascertain whether any online reply has been received from Indian Nursing Council (INC) conveying the status regarding deficiencies/suitability. Instead of institutional Login, emails are sent to Secretary/Joint Secretary in nodalofficer@gov.in seeking the status of the application which causes unnecessary delay and repetition of work in INC.

It is brought to the notice of all nursing institutions that henceforth, they may keep logging in frequently, after submission of the online application, to ascertain whether any online communication has been received back from INC. Enquiries in any mode reg. status of proposal will not be entertained in this regard.

Lt Col (Dr) Sarvjeet Kaur
Secretary

उपचर्या शिक्षा के एकसमान मानक प्राप्त करने के लिए प्रयासरत
Striving to Achieve Uniform Standards of Nursing Education

Website: www.indiannursingcouncil.org E-mail: secy.inc@gov.in

Phone: 011-66616800, 66616821, 66616822

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

एफ.सं. 1-6/नवीकरण/2021-आईएनसी

दिनांक: 11 OCT 2021

परिपत्र

विषय:- सभी नर्सिंग संस्थानों के लिए आवश्यक है कि वे अद्यतन स्थिति का पता लगाने के लिए "इंस्टीट्यूशन लॉग-इन" में बार-बार लॉग-इन करें, के संबंध में

ई-पहल के तहत, भारतीय उपचर्या परिषद् ने सभी प्रतिभागी संस्थानों की सुविधा के लिए भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 और 14 के तहत नए प्रस्तावों, सीटों की वृद्धि के प्रस्तावों, वार्षिक संबद्धता के नवीनीकरण आदि के लिए उपयुक्तता की जांच की प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया है। संस्थानों के मार्गदर्शन और सुविधा के लिए उपयोगकर्ता पुस्तिका और प्रदर्शन वीडियो भी संस्थान लॉग-इन के तहत उपलब्ध करा दिए गए हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया का उद्देश्य यह है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद, प्रस्ताव की स्थिति की अद्यतन सूचना संस्थानों को उनकी संस्थागत आईडी और लॉग-इन पास वर्ड के साथ लॉग-इन करने पर ऑनलाइन ही उपलब्ध होनी चाहिए। प्रस्तावों की जांच के बाद, भारतीय उपचर्या परिषद् औपचारिक पत्राचार के माध्यम से ऑनलाइन परिणाम भेजता है ताकि संबंधित संस्थान लॉग-इन करने के बाद औपचारिक पत्र को डाउनलोड कर सके। यदि पत्र संस्थान में कमियों के बारे में हैं तो ऐसे संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद् को बिना किसी अलग संचार के अपना अनुपालन ऑनलाइन ही प्रस्तुत कर सकते हैं।

तथापि यह देखा गया है कि उपयुक्तता के नवीनीकरण/प्रथम आवेदन आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के बाद; अधिकांश नर्सिंग संस्थान यह पता लगाने के लिए लॉग-इन नहीं करते हैं कि क्या भारतीय उपचर्या परिषद् (आईएनसी) से कोई ऑनलाइन उत्तर प्राप्त हुआ है जो संस्थान में कमियों अथवा उपयुक्तता के संबंध में अद्यतन स्थिति को दिखालाता हो। संस्थागत लॉग-इन करने के बजाय, आवेदन की अद्यतन स्थिति जानने के लिए nodalofficer@gov.in पर सचिव/संयुक्त सचिव को ई-मेल भेजे जाते हैं जिससे भारतीय उपचर्या परिषद् कार्यालय में अनावश्यक देरी और काम की पुनरावृत्ति होती है।

सभी नर्सिंग संस्थानों को सूचित किया जाता है कि अब से, वे ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद यह पता लगाने के लिए कि क्या भारतीय उपचर्या परिषद् से कोई ऑनलाइन संचार वापस प्राप्त हुआ है, बार-बार लॉग-इन करते रहें। इस संबंध में प्रस्ताव की स्थिति के संबंध में किसी भी अन्य तरीके से की गई पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

सर्वजीत कौर

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर
सचिव

उपचर्या शिक्षा के एकसमान मानक प्राप्त करने के लिए प्रयासरत
Striving to Achieve Uniform Standards of Nursing Education

Website: www.indiannursingcouncil.org E-mail: secy.inc@gov.in

Phone: 011-66616800, 66616821, 66616822